

तारीख हुक्म संख्या:- 53/25 किस्म प्रार्थना पत्र:- अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट 1956	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग(डीग) पटवारी, पटवार मंडल, नरदाकोट बनाम राजस्थान सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज GCMS No- 2025/330	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए.
26.11.2025	<p>आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पटवारी, पटवार मंडल कहेंसिया द्वारा पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। आवेदन पत्र के साथ भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.04.2025 की प्रति पेश की गई। तहसीलदार (भू.अ.) डीग की रिपोर्ट क्रमांक 21.31.2025 3396 डि. 26.11.25 से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। पटवारी, पटवार मंडल कहेंसिया के निवेदन पर सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात व तहसीलदार की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा पटवारी, पटवार मंडल कहेंसिया ने मौखिक निवेदन किया है कि बाकें ग्राम जायलीक्रीम स्थित भूमि जमाबंदी संवत् 2076-79 के खाता संख्या 112 खसरा नं. 492 2025 पत्रा-6 0.87 के काश्तकार राजपाल पुत्र सुखराम हिस्सा जाति जाट निवासी जायलीक्रीम खातेदार राहिन हिस्सा 127 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा डीग के स्थान पर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा डीग दुरुस्त किया जावे। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप तथा तहसीलदार डीग की स्पष्ट अभिशंका के आधार पर हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा अंतर्गत 136 एल0आर0एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया बाकें ग्राम जायलीक्रीम स्थित भूमि जमाबंदी संवत् 2076-79 के खाता संख्या 112 खसरा नं. 492 पत्रा-6 2025 के काश्तकार राजपाल पुत्र सुखराम हिस्सा 127 जाति जाट निवासी जायलीक्रीम खातेदार राहिन हिस्सा 127 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा डीग के स्थान पर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा डीग दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार डीग को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहरीर जारी हो। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 26.11.2025 को न्यायालय हाजा में सुनाया गया।</p>	
(मकेश चौधरी) उपखण्ड अधिकारी डीग (जिला डीग)		